

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

अधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 16] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी ३०, १९६८/माघ १०, १८८९

No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1968/MAGHA 10, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION**

(Department of Agriculture)

Land Acquisition Review Committee

The following translation in Hindi of the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

SARAN SINGH, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय

(कृषि विभाग)

लैंड एक्वीजिशन (कंपनीज) रूल, १९६३ का हिन्दी में निम्नलिखित अनुवाद राष्ट्रपति के अधिकार के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का १९) की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन हिन्दी में उनका प्रमाणिकता समझा जाएगा।

नई दिल्ली, 22 जून, 1963

सा० का० नि० 234—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम सं० 1) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के तथा केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के आफिसरों के मार्गदर्शन के लिये निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1—संक्षिप्त नाम और लागू होना (1) ये नियम भूमि अर्जन (कम्पनियां) नियम, 1963 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम अधिनियम के भाग 7 के अधीन सब कम्पनियों के लिये भूमि के अर्जन को लागू होंगे।

2—परिभाषाएं—इन नियमों में—

(i) “अधिनियम” से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम सं० 1) अभिप्रेत है, और

(ii) “समिति” से नियम 3 के अधीन गठित भूमि अर्जन समिति अभिप्रेत है।

3. भूमि अर्जन समिति—(1) अधिनियम के भाग 7 के अधीन भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में समुचित सरकार को सलाह देने के प्रयोजन के लिये, समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक समिति गठित करेगी जो भूमि अर्जन समिति कहलायेगी।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे,—

(i) राजस्व, कृषि और उद्योग के विभागों के सरकार के सचिव या उक्त हर एक विभाग के ऐसे अन्य आफिसर जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे; और

(ii) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे, ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) समुचित सरकार समिति के सदस्यों में से एक को उसका सभापति होने के लिये नियुक्त करेगी।

(4) समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

(5) अधिनियम के भाग 7 के अधीन भूमि के अर्जन से सम्बन्ध और उद्भूत होने वाले सब मामलों पर, जिन पर उससे परामर्श किया जाए, समुचित सरकार को सलाह देना और उस तारीख से जिसको उससे परामर्श किया जाए एक मास के भीतर अपनी सलाह निविदित करना, समिति का कर्तव्य होगा।

परन्तु समुचित सरकार, समिति द्वारा इस निमित्त प्रार्थना किए जाने पर और पर्याप्त कारणों के लिये, उक्त कालावधि का विस्तार दो मास से अनधिक की अतिरिक्त कालावधि के लिए कर सकेगी।

4—अर्जन कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व कुछ मामलों की बाबत समुचित सरकार का समाधान किया जाना.—(1) जब कभी कोई कम्पनी किसी भूमि के अर्जन के लिये समुचित सरकार को आवेदन करे, वह सरकार कलक्टर को निदेश देगी कि वह उसे निम्नलिखित मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, अर्थात्—

- (i) कि कम्पनी ने उक्त परिक्षेत्र में अर्जन के प्रयोजन के लिये उपयुक्त भूमियों का पता लगाने के लिए आता न्योतन प्रयत्न किया है
- (ii) कि कम्पनी ने हितबद्ध व्यक्तियों से बातचीत करके ऐसी भूमियों की, युक्तियुक्त कीमत का संवाय करके प्राप्त करने के सब युक्तियुक्त प्रयत्न किए हैं और ऐसे प्रयत्न असफल हुए हैं;
- (iii) कि अर्जित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त है;
- (iv) कि अर्जित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि का क्षेत्र अत्यधिक नहीं है;
- (v) कि कम्पनी भूमि को शीघ्र उपयोग में लाने की स्थिति में है; और
- (vi) जहां अर्जित की जाने के लिये प्रस्थापित भूमि अच्छी कृषि-भूमि हो वहां उस भूमि को अर्जन से बचाने के लिये कोई आनुकल्पिक उपयुक्त आस्थान नहीं मिल सकता।

(2) कलक्टर कम्पनी को इस निमित्त कोई अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उन मामलों की जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट हैं, जांच करेगा और ऐसी जांच करते समय, वह—

- (i) ऐसी किसी दशा में जिसमें कि अर्जित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि कृषि-भूमि हो, जिले के ज्येष्ठ कृषिक आफिसर से परामर्श करेगा, चाहे ऐसी भूमि अच्छी कृषिभूमि हो या न हो,
- (ii) अधिनियम की धारा 23 और 24 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर की लगभग रकम अवधारित करेगा जिसका उस भूमि के सम्बन्ध में संदेय होना सम्भाव्य है जो कि कलक्टर की राय में कम्पनी के लिये अर्जित की जानी चाहिए; और
- (iii) यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या कम्पनी ने अर्जित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों की युक्तियुक्त कीमत (जो ऐसे अवधारित प्रतिकर से कम न हो) प्रस्थापित की।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिये, “अच्छी कृषि-भूमि” से कोई ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो उस क्षेत्र के जिसमें वह अवस्थित हो, कृषि-उत्पादन के स्तर और फसल के पैटर्न पर विचार करते हुए, औसत या औसत से अधिक उत्पादित वाली है और उद्यान-भूमि या बाग-भूमि इसके अन्तर्गत आती है।

(3) उपनियम (2) के अधीन जांच करने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र कलक्टर समुचित सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस सरकार द्वारा उसकी एक प्रति समिति को भेजी जाएगी।

(4) समुचित सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि—

- (i) समुचित सरकार ने समिति से परामर्श न कर लिया हो और इस नियम के अधीन निवेदित की गई रिपोर्ट पर और अधिनियम की धारा 5 क के अधीन यदि कोई रिपोर्ट निवेदित की गई हो तो उस पर विचार न कर लिया हो, और
- (ii) अधिनियम की धारा 41 के अधीन करार कम्पनी द्वारा निष्पादित न कर दिया गया हो।

5—**धारा 41 के अधीन करार में उपबन्धित की जाने वाली बातें** (1) अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट करार के निबन्धनों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात्—

- (i) कि कम्पनी भूमि का प्रयोग, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो उससे भिन्न हो जिस के लिए भूमि अर्जित की गई है, समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगी ;
- (ii) कि वह समय, जिसके अन्दर निवासगृहों या प्रत्यक्षतः तत्सम्बन्धित सुख-सुविधाओं का परिनिर्माण या उपबन्ध अथवा निर्माण या संकर्म का संनिर्माण या निष्पादन किया जाएगा, कम्पनी को भूमि के अन्तरण की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा ;
- (iii) कि जहां समुचित सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे समाधान हो जाता है कि कम्पनी निवासगृहों या सुख-सुविधाओं अथवा किसी निर्माण या संकर्म का परिनिर्माण, उपबन्ध, संनिर्माण या निष्पादन करार में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर करने से ऐसे कारणों से निवारित हो गई थी जो उसके नियंत्रण के बाहर थे, वहां समुचित सरकार तत्प्रयोजनार्थ समय का विस्तार ऐसी कालावधि से जो किसी एक समय पर एक वर्ष से अधिक न हो, इस प्रकार कर सकेगी कि विस्तार की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ;
- (iv) कि यदि कम्पनी करार में उपबन्धित शर्तों में से किसी का भंग करे, तो समुचित सरकार कम्पनी की भूमि का अन्तरण बातिल और शून्य घोषित करने वाला, जिस से कि भूमि समुचित सरकार को प्रतिष्ठित हो जाएगी, और यह निर्दिष्ट करने वाला आदेश दे सकेगी कि अधिनियम की धारा 41 के खण्ड (1) के अधीन अर्जन के खर्च के रूप में समुचित सरकार को कम्पनी द्वारा सदातः रकम की एक चौथाई से अतिरिक्त रकम नुकसानी के रूप में समुचित सरकार को सम्पूण कर दी जाएगी और अतिशेष कम्पनी को वापस कर दिया जाएगा और ऐसे दिया गया आदेश अन्तिम और आबद्ध कर होगा ;
- (v) कि यदि कम्पनी भूमि का भाग मात्र उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाती है जिसके लिए वह अर्जित की गई थी और समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि यदि उसका उपयोग में न लाया गया भाग पुनर्गृहीत कर लिया जाए, तब भी कम्पनी अपने द्वारा उपयोग में लाए गए भूमि के भाग का उपयोग जारी रख सकती है तो समुचित सरकार एक आदेश कर सकेगी जिसमें यह घोषणा हो कि भूमि का

उसके उपयोग में न लाए गए भाग की बाबत अन्तरण बालित और शून्य है जिस पर ऐसे उपयोग में न लाया गया भाग समुचित सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगा, और यह आदेश हो कि अधिनियम की धारा 41 के खण्ड (i) के अधीन अर्जन के खर्च के रूप में कम्पनी द्वारा संदत रकम के ऐसे भाग की, जो कि उपयोग में न लाए गए भाग से सम्बन्धित माना जा सकता है, एक चौथाई से अनधिक रकम नुकसानी के रूप में समुचित सरकार को समपहृत हो जाएगी और उस भाग का अतिशेष कम्पनी को वापस कर दिया जाएगा और ऐ से दिया गया आदेश, खण्ड (vi) के उपबन्धों के अधधीन, अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(vi) कि जहां भूमि के उपयोग में न लाए गए भाग से सम्बद्ध की जा सकने वाली रकम के बारे में कोई विवाद हो, वहां ऐसा विवाद उस न्यायालय को निदिष्ट किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर भूमि या उसका कोई भाग अवस्थित है और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) जहां कम्पनी करार के निबन्धनों में से किसी का भंग करती है, वहां समुचित सरकार, उपनियम (1) के खण्ड (iv) या खण्ड (v) के अधीन आदेश तब तक नहीं देगी, जब तक कि कम्पनी को उस मामले में सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

(3) समुचित सरकार, उपनियम (1) के खण्ड (i) के अधीन कोई मंजूरी देने या खंड (iii) के अधीन समय का विस्तार करने या उस उपनियम के खंड (iv) या खण्ड (v) के अधीन कोई आदेश देने से पूर्व, समिति से परामर्श करेगी।

6. अतिरिक्त बातें जो धारा 41 के अधीन करार में उपबन्धित की जा सकेंगी—

(1) "नियम 5 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 41 में निविष्ट करार के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें भी हो सकेंगी, अर्थात्—

"कि आत्ययिकता के किसी मामले में जहां अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधि-निर्णय दिए जाने से पूर्व धारा 17 के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने की प्रास्थपना है, वहां कम्पनी (नियम 4 के उपनियम (2) के खंड () के अधीन भूमि की बाबत यथा अवधारित संदेय प्रतिकर की लगभग रकम के दो तिहाई से अनधिक) ऐसी रकम और ऐसे समय के भीतर जो कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे ब्याज से मुक्त कलक्टर के पास निक्षिप्त करेगी।"

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई रकम कलक्टर के पास निक्षिप्त की गई हो, वहां कलक्टर ऐसे निक्षिप्त की गई रकम का संदाय उन हितवद् व्यक्तियों को निविष्ट करेगा, जो कलक्टर की राय में अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार हैं, और जब तक कि अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में वर्णित आकस्मिकताओं में से किसी एक या अधिक द्वारा निवारित न हो, उसे उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधधीन देगा, अर्थात्—

(i) हर एक प्राप्तिकर्ता द्वारा इस करार का निष्पादन कि उस द्वारा प्राप्त की गई रकम अन्तिम रूप से अधिनिर्णीत प्रतिकर के प्रति समायोजित की जायगी और कि जहां उस द्वारा प्राप्त रकम अन्तिम रूप से अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम से अधिक हो, वहां अधिक रकम उससे भराजस्व के बाकाया के रूप में वसूलीय होगी और कि वह इस उपनियम के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम की बाबत अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन किसी ब्याज के लिए बाधा नहीं करेगा, और

- (ii) हर एक प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिभूति के सहित या रहित जैसा कि कलक्टर विनिश्चित करे एक बन्धपत्र का निष्पादन जिसमें कि प्रतिकर या उसके भाग के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बाब के खिलाफ समुचित सरकार की क्षतिपूर्ति करने का वचनबद्ध हो।

(3) यदि उपनियम (1) के अधीन कम्पनी द्वारा निक्षिप्त की गई रकम या उसका कोई भाग उपनियम (2) के अधीन संदत्त न किया जाए, तो कलक्टर यथासाध्यशीघ्रता से उसे कम्पनी को वापस कर देगा।

7. कालिक रिपोर्टों का निवेदित किया जाना.—यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि कम्पनी द्वारा निष्पादित करार में उपबन्धित शर्तों का अनुपालन किया जाता है, समुचित सरकार कलक्टर को या ऐसे अन्य आफिसर को, जिसे वह सरकार तत्प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, निदेश दे सकेगी कि वह उन शर्तों को जिनका अनुपालन किया गया हो या न किया गया हो तथा उन कार्यवाहियों को जो कम्पनी द्वारा उनके अनुपालन के प्रति की गई हों, उपदर्शित करने वाली एक कालिक रिपोर्ट, ऐसे समय के अन्तरालों पर जो वह विनिर्दिष्ट करे उसे और समिति को निवेदित करे।

8. शर्तें जिनके अधीन भूमि के अन्तरण के लिये मंजूरी दी जा सकेगी.—जहां कि कोई कम्पनी जिसे के लिए भूमि अधिनियम के अधीन अर्जित की गई हो उस भूमि या उसके किसी भागके बिक्रय, दाम, पट्टे द्वारा या अन्यथा अन्तरण के लिए समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन करे, वहां ऐसी कोई मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि:—

(i) निवासगृहों, सुख-सुविधाओं, निर्माणों या सकर्म सहित, यदि कोई हों, भूमि का प्रस्थापित अन्तरण किसी अन्य कम्पनी को न हो या जहां कम्पनी कोई सहकारी सोसाइटी है वहां ऐसा अन्तरण इसके किसी सदस्य या सभी सदस्यों को न हो, अथवा

(ii) जहां भूमि कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मचारों के लिए निवास गृहों के परिनिर्माण के लिए ही अर्जित की गई हो, वहां निवासगृहों सहित, यदि कोई हों, भूमि का अन्तरण ऐसे कर्मचारों को या उनके आश्रित वारिसों को न हो;

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी देने से पूर्व, समुचित सरकार समिति से परामर्श करेगी।

9. कुछ कम्पनियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—(1) जब कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कम्पनी से भिन्न किसी कम्पनी द्वारा किसी भूमि के अर्जन के लिए समुचित सरकार को आवेदन किया जाए, तो ऐसा अर्जन मामूली तौर से अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(2) जहां कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कम्पनी से भिन्न किसी कम्पनी के लिए किसी भूमि को अर्जित करने की प्रस्थापना है, वहां समुचित सरकार को अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियां तब तक प्रयोक्तव्य नहीं होंगी जब तक उसका समाधान न हो जाए कि ऐसा करना जीवन या सम्पत्ति को खतरे से बचाने के लिए आवश्यक है या वैसा करना अन्यथा लोकहित में आवश्यक है।

10. निरसन-अधिनियम के भाग 7 के अधीन, कम्पनियों के लिए भूमि के अर्जन की बाबत अपने आफिसरों के मार्गदर्शन के लिए समुचित सरकार द्वारा बनाए गए और इन नियमों के प्रारम्भ से अन्वयहित पूर्ण प्रवृत्त सब नियम वहां तक जहां तक कि वे विद्यमान हों, प्रभावी नहीं रहेंगे।

शरणसिंह, संयुक्त सचिव।